



**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O, BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 961 /Type Approval No.: 961

नवीकरण सं./Renewal No.: 04 / संशोधन सं./Amendment No.: 02

विषय/Sub: कार्ट्रिज सीट इजेक्शन प्राइमरी सं. 8 एमके1 एवं सेकण्ड्री सं. 8 एमके1, पार्ट सं.: 312के/85-1ए एवं 312के/ 85-1बी/ Cartridge Seat Ejection Primary No.8 Mk.1 & Secondary No. 8 Mk.1, Part No.: 312K/85-1A & 312K/85-1B

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स आयुध अनुसंधान तथा विकास संस्थापन (एआरडीई), पाषाण, पुणे - 411 021, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " कार्ट्रिज सीट इजेक्शन प्राइमरी सं. 8 एमके1 एवं सेकण्ड्री सं. 8 एमके1", पार्ट सं. 312के/85-1ए एवं 312के/ 85-1बी को निर्धारित कंपोनेंट बिल्ड स्टैंडर्ड (एसीबीएस) दस्तावेज़ सं. एआरडीई/2195, दिनांक: 13/02/2020 के अनुसार और आर सी एम ए (एए), पुणे द्वारा अनुमोदित तकनीकी विनिर्देश सं. एआरडीई/एसपीईसीएन/442 एंड 443 और क्वालिफिकेशन टेस्ट आवश्यकताओं के अनुकूल वर्ग अनुमोदित किया जाता है। इस वर्ग अनुमोदन का आधार और संगत उड़नयोग्यता अनुमोदन सूचना वर्ग अनुमोदन डेटा शीट के परिशिष्ट-ए/ प्रारंभिक टीए दस्तावेज़ में विवरित किया गया है।

This is to state that "Cartridge Seat Ejection Primary No. 8 Mk.1 & Secondary No.: 8 Mk.1 ", Bearing Part No.: 312K/85-1A & 312K/85-1B, designed, developed and manufactured by Armament Research & Development Establishment (ARDE), Pashan, Pune - 411 021 is hereby Type Approved/Renewed as per the Approved Component Build Standard (ACBS) vide document No. ARDE/2195, dated: 13/02/2020 and conforms to Technical Specification No.: ARDE/SPECN/442 & 443 and Qualification Test Requirements approved by RCMA (AA), Pune. The basis for this Type Approval and the relevant Airworthiness Approval information are described in the 'Type Approval Data Sheet' at Appendix A/ initial TA documents.

यह अनुमोदन निबंधन और शर्तों के अधीन तथा पृष्ठ के दूसरी ओर उल्लेखित संशोधन सहित नवीकरण विवरणों के अनुसार जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से (01/02/2020 से 31/01/2025 तक) पाँच वर्ष के लिए वैध है।

This approval is valid for a period of five years from the date of issue/ renewal (from 01-02-2020 to 31-01-2025) subject to terms, conditions and renewal cum amendment details mentioned overleaf.

सं. /No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ए.टी/TA-961

दिनांक / Date : 25th February 2020

फैक्स सं. / Fax No.: 080-2523 0856

डी एम इसाक / DM Isack

वैज्ञानिक 'जी' / Scientist 'G'

स्थानामन्त्र मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Offg. Chief Executive (Airworthiness)

Format as per: CEMILAC/TCS/5070, dated: 22nd March 2019